FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम BARSADI

बनाम

किस्म मुकद्दमा 53 RTAC नं. 91/18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट पारसौली पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि गौतम पिता, मोती एवं पांचीया पुत्र मोती द्वारा आपसी राजीनामा द्वारा, फैसला प्रकाशित गया।	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा पारसौली ① गौतम / मोती भीमा 54. 0.19 7.98 ② पांचीया / मोती भीमा 56 0.17 5.66

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
RAS
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official